रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 1970/माघ 15, 1891

No. 42] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 1970/MAGHA 15, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDERS

New Delhi, the 2nd February 1970

S. O. 475.—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Gujarati to be of the description specified against each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section 4 of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XVII of 1953).

(3) Sub-Section (4) of Section 5 and Section 9 of the Saurashtra Cinemas (Regulation Act, 1953 (Saurashtra Act XVII of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & curren events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1	Mahitichitra	243·84M	Director of Information, Govt. of Gujarat, Sachivalaya, Ahmedabad—15.		Film dealing with News and Current events. (For release in Gujarat Circuit).
2	Moogani Aahish	259.08M	Do.		Documentary film. (For release in Gujarat Circuit).
3	Aunsh Ane Chhed	83·82M	Do.		Film intended for educational purposes. (For release in Gujarat Circuit.)
4	Ishwar Ni-Ichcha	48·06 M	Do.,		Do.

[No. F. 28/1/70-FP App. 1418]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी 1970

एस० ओ० 475:—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्यक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके गुजराती भाषा रूपान्तर सहित, जिनका विवरण प्रत्यक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16।

(2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17 वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9।

(3) सौराष्ट्र सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17 वां सौराष्ट्र अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (4) तथा धारा 9।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1	महितिचित्रा संख्या 118	243.84 मीटर	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार सचिवालय, अहमदाबाद-15		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (गुजरात सर्किट में रिलीज करने के लिए)
2	मुगौन आशिश	259.08 मीटर	-तदैव-		डाकुमेन्ट्री फिल्म (गुजरात सर्किट में रिलीज करने के लिय)
3	अंश अने छेद	83.82 मीटर	-तदैव-		शिक्षा सम्बन्धी फिल्म (गुजरात सर्किट में रिलीज करने के लिए)
4	ईश्वरनी इच्छा	148.06	-तदैव-		-तदैव-

[सं० एफ० 28/1/70-एफ० पी० परिशिष्ट 1418]

S. O. 476.—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its language versions to be of the description specified against it in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1	Indian News Review No. 1111	266·39M	Films Division, Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events.

[No. F. 28/1/70-FP App. 1417]
K. K. KHAN, Under Secy.

एस० ओ० 476—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस०ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1968 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सामने भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है, या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1	भारतीय समाचार \| समीक्षा संख्या 1111	266.39 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24-पेडर रोड, बम्बई-26		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म।

[सं० एफ० 28/1/70 एफ० पी०—परिशिष्ट 1417]

के० के० खान, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970